राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 201 अप्रैल 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

चर्चा में वैवाहिक बलात्कार

भारत के लोगों के मन में यह धारणा है कि विवाह के दायरे मे बलात्कार अपराध नहीं है। अनेकों को यह विश्वास नहीं होता कि कोई पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है। आखिर, पति अपने दांपत्य आधिकार का दावा करता है और इसलिए वह इस पर अपना हक जताता है। अतः यद्यपि वैवाहिक बलात्कार शोषण का सबसे खराब रुप है जिसे पत्नी को झेलना पड़ता है, फिर भी इस कृत्य की आपराधिकता विवाह के पवित्र आवरण में छिपी रहती है।

यह विडंवना है कि महिला को अपनी रक्षा के लिए लड़ने का अधिकार दिया गया है जब दुष्कर्मी बाहर का व्यक्ति होता है परन्तु जब उसके शरीर के साथ जबरदस्ती करने वाला उसका अपना पति होता है तो ऐसी सुरक्षा कानून द्वारा हटा दी गई है। इसमे आश्चर्य नहीं है कि विवाहित महिलाएं कभी बलात्कार कानून के दायरे में नहीं आती हैं।

दुर्भाग्य से, यहां तक कि पीड़िता स्वयं अक्सर खामोशी से अपमान को सहती है क्योकि अपराध कर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पत्नी जानती है और उस पर विश्वास करती है। वैवाहिक संबंध के नजदीकी व्यक्तिगत स्वरुप होने के कारण पीड़िता को स्वंय को पीड़िता समझना मुश्किल हो जाता है, संबंधित प्राधिकारियों को अपराध की रिपोर्ट करने की बात ही अलग है। यहां तक कि वे, जो इस काम की अपराधिता को महसूस करती हैं, अक्सर पारिवारिक वफादारी, अपराधकर्ता के प्रतिशोध के भय से अथवा वित्तीय निर्भरता के कारण अपने अपराधकर्ताओं के साथ रहना जारी रखती हैं।

आज, विश्व के लगभग 200 देशों मे से 104 देश वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध मानते हैं। (2006 के आकडे) यहां तक कि मलेशिया और टर्की, जहां पुरुष प्रधान संस्कृति का जोर है, भारत से इस मामले में आगे है।

2012 के दिल्ली के समूहिक बलात्कार के बाद नियुक्त न्यायाधीश वर्मा समिति ने भी सिफारिश की थी कि आपराधिक न्याय में, वैवाहिक बलात्कार को अपवाद नहीं माना चाहिए। ऐसा नहीं करने से यह बलात्कार कानूनों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक खोया गया अवसर होने के समान होगा।

निश्चित रुप से, कुछ ऐसी भ्रांतियां हो सकती हैं कि इस कानून का व्यक्तिगत द्वेष निबटाने में दुरुपयोग किया जा सकता हैं, परन्तु ऐसी कभी को दूर करने के लिए बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध उचित सुरक्षोपाय शामिल किए जाने की आवश्यकता हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपवाद खंड को हटाने की मांग करता आ रहा है और अब जब केन्द्रीय सरकार वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करने पर विचार कर रही है, ऐसे कानून को बनाने से अनेक महिलाओ को, जिनका विवाह के नाम पर कानून का उल्लंधन और दुरुपयोग हुआ है, राहत मिलेगी।

यदि 104 देश इसको क्रियान्वित करने के लिए रास्ता निकाल सकते है तो भारत मे हम भी ऐसा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय

- एक निर्णय में, जिसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर जहां बलात्कार मामलों में आरोपी इस आधार पर नरमी की मांग करता है कि उनकी अंतरंगता सहमति पर आधारित थी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि लड़की की उम्र 16 बर्ष से कम है तो ऐसे कार्य करने वाला पार्टनर अपराधी माना जाएगा।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में मोबाइल बनाने वाले पुराने निर्माता जनवरी 2017 से पैनिक बटन वाला हैडसेट बनाएगें। इस सुविधा में व्यक्ति लंबे समय तक बटन दबाएगा जो लोकेशन की सुचना देने के अतिरिक्त प्रयोक्ता के परिवार अथवा मित्रो को भी सतर्क का संदेश देगा।
- वायु सेना ने तीन प्रशिक्षणार्थियों को, जो भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बनेंगी, परामर्श दिया है कि वे जून में कोर्स में प्रवेश लेने के बाद कम से कम चार वर्ष के लिए मां न बने। लड़ाकू पायलट के लिए युद्ध के लिए तैयार लड़ाकू बनने हेतु कम से कम पांच वर्ष की बाधारहित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। महिलाओं का एक वर्ष का प्रशिक्षण काल पूरा होने को है। तथापि यह केवल परामर्श था और न कि एक नया गर्भावस्था खंड था।
- चूंकि सरोगेसी अनेक निस्संतान दंपतियों के लिये आशा है। सरकार का प्रस्ताव इसके सेवा नियमों को बदलते समय के अनुरुप बनाने का है और अपने महिला कर्मचारियों को, चाहे वे सरोगेट अथवा कमीशनिंग मदर्स हों, 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देने का है। इतना ही नहीं, पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी सरोगेसी की स्थिति मे पितृ अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी।

महिला मैनेजर सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएसन द्वारा चेन्नई में आयोजित महिला मैनेजर सम्मेलन 2016 में उपस्थित हुई। समापन भाषण में बोलती हुई राष्ट्रीय महिला की अध्यक्षा ने कहा कि बोर्ड में, सभी पेशों मे इस बात को स्वीकारने में बढ़ोतरी हुई कि काम के लगभग हर क्षेत्र मे महिलाएं उतनी ही योग्य हैं जितने पुरुष। उन्होने महिलाओं से कहा कि वे अपने पर विश्वास रखें और बिना समझौता किए अपनी बात पर डटी रहें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को महत्वकांक्षी होना चाहिए और

अध्यक्ष सम्मेलन में भाषण करती हुई

ऊंचे पदो तक पहुंचने के लिए अपनी योग्यता पहचाननी चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि महिलाओ को यौन हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, सम्पंत्ति से वंचित करना, साईबर अपराध आदि से निपटने के लिए अपने कानूनी आधिकारों के बारे मे जानना चाहिए। श्रीमती ललिता कुमारमंगलम महिला किसान अधिकार मंच द्वारा आंध्र प्रदेश के बपताला में आयोजित नेशनल वुमेन फार्मस कनवेंशन में उपस्थित हुई।

यंग इंडियन्स नेशनल समिट

बारहवीं यंग इंडियन्स नेशनल समिट, टेक प्राइड 2016 नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमे 37 नगरों के 700 प्रतिभागी और यंग इंडिया के सदस्य और युरोपियन और एशियाई देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शमिल हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमगंलम ने "क्या राजनीतिक हित लोगो के हित पर हावी हो गए हैं"? पर श्रोताओं को संबोधित किया।

अध्यक्ष समिट को संबोधित करती हुई

स्वतः संज्ञान में लेना

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान मे लिया है जो 11 अप्रैल, 2016 के विभिन्न प्रिंट और इलोक्ट्रानिक मीडिया में इस शीर्षक से प्रकाशित हुई "महिलाओं को शनि मंदिर मे प्रवेश की अनुमति देने से बलात्कार की धटनाओ में वृद्धि होगी, ऐसा शंकराचार्य स्वरुपानंद का कहना है"। यह बयान बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उस रोक को उठा देने के बाद आया है जिसमें महाराष्ट्र मे महिलाओं को शनि शिंगणापुर मंदिर के प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। जब महिला कार्यकर्ताओं ने मंदिर मे जबरदस्ती धुसने की कोशिश की तो उन्होने यह भी कहा कि "शनि का प्रभाव महिलाओं को हानि पहुंचाएगा"। राष्ट्रीय महिला आयोग इस अपमानजनक और गैर–जिम्मेदार टिप्पणी की, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता हैं कठोर शब्दों में निन्दा करता है। मामले की अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए आयोग ने नोटिस की प्रप्ति के पांच दिनो के अंदर शंकराचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है अथवा अन्यथा आयोग द्वारा उनको समन भेजा जाएगा।
- आयोग ने "हिदुस्तान" नई दिल्ली मे "रैनबसेरा के सुपरवाइजर ने युवती से दुष्कर्म किया" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट, जो रैनबसेरा के एक युवा महिला संवासी का जिससे सुपरवाइजर द्वारा बलात्कार किए जाने के बारे मे है, को स्वतः सज्ञांन मे लिया। सदस्या रेखा शर्मा जाचं समिति की अध्यक्षा होने के नाते मामले की जांच करने के लिए रैनबसेरा गई। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज की जिसने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पाया गया कि आरोपी शादी–शुदा है, और उसके दो बच्चे हैं। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले मे की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।
- आयोग ने टाइम्स आफ इंडिया मे "लड़की गर्भवती पाई गई, होम स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट, जो लखनऊ के मोतीनगर में राज्य द्वारा संचालित बाल गृह में एक संवासी के गर्भवती होने के बारे में है, को स्वंतः संज्ञान में लिया हैं। जांच समिति की अधयक्षा सदस्या रेखा शर्मा मामले की जांच करने के लिए समिति के एक दूसरी सदस्या के साथ लखनऊ में मोतीनगर बाल गृह गई।

मार्च, 2016 के महीने के लिए प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायते	शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	बंद
मार्च 2016	1851	1732	971

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मार्च 2016 में 7 मामलों को स्वतः संज्ञान मे लिया

विधि जागरुरता कार्यक्रम

पूर्वोतर राज्यों की महिलाओ के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जसोला स्थित अपने नए परिसर में पूर्वोतर की महिलाओं और विद्यार्थियों को, जो दिल्ली मे रहते है, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा से सबंधित कानूनों के बारे मे जागरुक करने के लिए एक दो दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।

श्री किरेन रिजीजू, गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री, डा.टी. मीनया, संसद सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याओ ने उद्धाटन सत्र की शोभा बढ़ाई।

विधि जागरुरता कार्यक्रम में (दांए से) खड़े हैं
सदस्याएं सुषमा साहु, लालडिंगालियानी साइलो, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, श्री किरेन रिजीजू, डा.टी. मीनया, सदस्य आलोक रावत

स्वागत भाषण देती हुई सदस्या लाल डिंगलियानी साइलो ने कहा कि अपनी स्थापना के समय से राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओ के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय का अन्वेषण और जांच करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। पूर्वोतर राज्यों की महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए अयोग ने उन्हे उनके कानूनी अधिकारो के बारे में जागरुक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। अपने मुख्य भाषण के अध्यक्षा ने कहा कि यह जागरुकता प्रोग्राम पूर्वोत्तर राज्यों के लोगो को उन कानूनो के बारे मे शिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया है जिनका सहारा वे अपनी शिकायतो को दूर करने के लिए ले सकते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रिजीजू ने कहा कि भारत सरकार महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास कर रही है और उन्होंने यह भी कहा कि कानूनो को मजबूत किया गया है और एसिड की बिक्री विनियमित की गई है। उन्होनें जोर देकर पीड़ितो से कहा कि उन्हें कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जब भी अपराध होते है तो वे पुलिस को सुचीत करें। अपने विचार रखते हुए डा0 मीनया ने कहा कि भारतीय कानूनों का और संशोधन करने की आवश्यकता है और यह भी कहा कि रोजगार योग्य उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए और न कि आरक्षित उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए।

प्रतिभार्गयो का एक दृश्य

उद्धाटन सत्र के बाद "साइबर अपराध और महिलाएं" पर एक सत्र हुआ जिसमें प्रतिभागियों को साइबर विश्व में अपराधिक प्रवृति के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में अपराधिक कानून और महिलायें "कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतो से निपटने के तरीको" पर चर्चा हुई।

साहस की मिसाल

रांची में सिमडेगा के कुलुकेरा गांव में एक 14 वर्ष की लड़की ने 21 अप्रैल को होने वाली अपनी जबरन शादी को रुकवाकर एक अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। अपनी पढ़ाई के छूट जाने, दोस्तों के और अपना बचपन सदा के लिए खो जाने के विचार ने उसे यह निर्णय लेने में सहायता दी कि वह किसी भी स्थिति में इस विवाह को नही करेगी। स्कूल के अपने आखिरी दिन उसने अपनी दुविधा अपनी अध्यापिका को सुनाई जो उसे पुलिस अधीक्षक, राजीव रंजन सिंह के पास ले गई।

इसके बाद जो हुआ वह सिमडेगा में इतिहास बन गया। इससे पहले जनजातीय जिले में किसी भी स्कूली छात्रा ने अपने माता–पिता के निर्णय का विरोध नहीं किया था और उनके विरुद्ध कानून का प्रयोग नहीं किया था। शकीना के साहस से अत्यधिक प्रभावित होकर पुलिस ने उसे अपना लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा एक सुदूर गांव में जहां बच्चों का चोरी–छिपे कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, रहने वाली शकीना ने असीम साहस दिखाया है। हम उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते है और प्रतिज्ञा करते है कि जब तक उसे अपना केरियर नहीं मिल जाता है, हम उसकी पढ़ाई मे सहायता करते रहेंगे। अब से हम उसके अभिभावक होंगे।

बाद में, पुलिस की एक टीम शकीना के घर गई और उसने मां–बाप को गिरफ्तार कर लिया। शकीना अब एक दिन पुलिस अफसर बनने का सपना देखती है।

सदस्याओं के दौरे

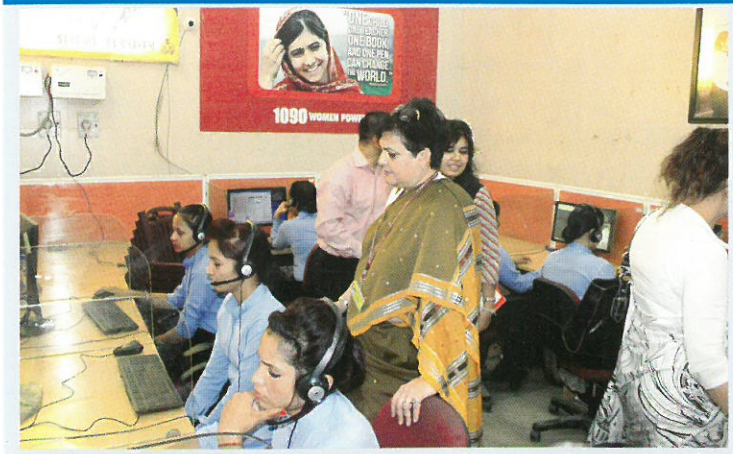

सदस्या रेखा शर्मा वुमैन हल्पलाईन काल सेंटर का दौरा करती हुई

सदस्या रेखा शर्मा एक महिला प्रोफेसर द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायत की जांच करने के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय गई। मामले की जांच करने के बाद सदस्या ने उसे सभी संगत दात्तावेजों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में आने को कहा। श्रीमती शर्मा कर्णाटक गई और राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायतों पर चर्चा करने के लिए वहां के पुलिस महानिदेशक से मिली। इस बैठक में ए.डी.जी.पी., जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे। 6 मामलों पर चर्चा हुई। एक शिकायतकर्ता नहीं मिल सका और बहुत प्रयासों के बाद भी उससे संपर्क नही हो सका। 5 मामलो मे से 3 बंद कर दिए गए। पुलिस अधीकारियों को पेपरवर्क पूरा करने और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग भेज देने के लिए कहा गया। बाद में, श्रीमती शर्मा एन आई एम एच ए एन एस बंगलौर गई और संस्थान के विभिन्न स्कधों का दौरा किया और वहां संवासियो से मिली। वह प्रो. बी.एन. गंगाधर, संस्थान के प्रमुख और रजिस्ट्रार डा. वी. रवि से भी मिली और इस बात पर चर्चा हुई, कि कैसे राष्ट्रीय महिला आयोग और एन आई एम एच ए एन एस अन्य मानसिक रोगी अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए भविष्य में साथ काम कर सकते है। सदस्या एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाने वाले और कर्णाटक सरकार द्वारा और प्राइवेट चंदे से वित्त पोषित शक्तिधाम महिला पुनर्वास और विकास केंद्र और शेलटर होम का दौरा करने के लिए मैसूर गई। उन्होने दो मामलों की सुनवाई भी की। श्रीमती शर्मा 24 धंटो की कॉल सेंटर जिसका नाम 1090–वुमैन पावर लाइन है और जो महिलाओं से शिकायते प्राप्त करती है गई। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की पहल है जिसे 2012 में आरम्भ किया गया था। । सदस्या सुषमा साहू परामर्शदात्री सुश्री नेहा महाजन के साथ केरल गई। टीम ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और राज्य में स्वतः लिए गए मामलों के बारे में जानकारी ली और पुलिस महानिदेशक को बताया कि चूंकि की गई कार्यवाही रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई है, शिकायतकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। पुलिस महानिदेशक सदस्या के दस सुझाव से सहमत हुए कि भविष्य में मामलों से संबंधित सभी पत्र ई–मेल द्वारा भेजे जाएगे ताकि विलंब न हो।

महिलाओं के लिए पुलिस द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों के बारे में सदस्या के प्रश्न के उत्तर मे पुलिस महानिदेशक ने सूचित किया कि वे महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारो के बारे मे शिक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। टीम अलफुजा में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) भी गई और एस.ए.आई. से निकाले जाने के भय से चार लड़कियों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास के मामले में चर्चा करने के लिए श्री किशन और पुलिस अधिकारियों से मिली। पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि चार पीड़ितों मे से जिन्होने जहर पीया था, एक की मौत हो गई है और तीन अन्य की हालत में सुधार आया है। तथापि, एस.ए.आई. प्राधिकारी ने कहा कि जहर लेने का वास्तब में कारण इस खबर का फैलना था कि चार लड़कियों ने बियर पी थी। श्री किशन ने यह भी सूचित किया कि एक पीड़िता को सरकारी नौकरी दी जा रही है और अन्य तीन लड़कियों को एस.ए.आई. मे रहने दिया जा रहा है। बाद में टीम एर्णाकुलम गई जहां उसे एक लड़की द्वारा स्थानीय कालेज के विद्यार्थियों के नेताओं द्वारा परेशान करने के कारण नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायत की जांच करनी थी। पुलिस के अनुसार मामले को सुलझा दिया गया है और लड़की उसी कालेज में अपनी पढाई जारी रखी हुई है। अगले दिन टीम मुन्नार गई जहां महिला चाय कामगार अधिक मजूरी और निर्धारित कार्य घंटो के लिए आंदोलन कर रही हैं। पुलिस ने सदस्या को सूचित किया कि पुलिस की मध्यस्थता के बाद महिला कामगारो की मजूरी कुछ बढ़ाई गई है और कार्यघंटे भी निर्धारित किए गए हैं।

सदस्या सुषमा साहू एस.ए.आई. में छात्रों से बातें करती हुई

for further information visit our website at : **www.ncw.nic.in**

Published by the National Commission for Women, Plot No. 21, FC-33, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025 Editor : Gouri Sen.
Printed at Akanksha Impression, 18/36, Street No. 5, Railway Line Side, Anand Parbat Indl. Area, New Rohtak Road, New Delhi-5